

मुल वाद में अन्तिम डिक्री  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा**  
पीठासीन अधिकारी:— श्री चम्पालाल जीनगर, RAS



हुकुम सिंह राजपूत

बनाम

मान सिंह राजपूत वगैराह

दावा बाबत:— बंटवारा आराजीयात बाबत।

मुकदमा नम्बर:— 212/2017 वाद

निर्णय दिनांक:— 31.01.2018

लोक अदालत कैम्प कोर्ट में दिनांक 14.07.2017 को इस वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2017/1185 दिनांक 31.10.2017 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सतखण्डा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है—

1— मानसिंह पिता शम्भुसिंह राजपुत के रहेगी (वाके सतखण्डा):—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
5 दक्षिण मध्य	0.5500	10.45
270 पश्चिम	0.0300	00.75
274 पश्चिम	0.0800	02.00
275 पश्चिम	0.0600	02.52
276 पूर्व	0.0800	02.00
721 पूर्व	0.0300	00.75
728 उत्तर	0.0700	02.94
729 उत्तर	0.0600	02.52
730 सम्पूर्ण	0.0900	03.78
731 सम्पूर्ण	0.0900	03.78

कुल किता 10 कुल रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल लगान 31.49 रूपये

2— मानसिंह पिता शम्भु सिंह राजपूत के हिस्से में रहेगी (वाके महादेवपुरा)—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
218 पूर्व	0.4600	11.50

3— हुकम सिंह पिता शम्भुसिंह राजपूत के रहेगी (वाके सतखण्डा)—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
5 मध्य	0.3800	07.22
270 पूर्व	0.0500	01.25
273 सम्पूर्ण	0.0100	—
274 पूर्व	0.0300	00.75
275 पूर्व	0.1500	06.30
754 सम्पूर्ण	0.0200	00.84

कुल किता 6 कुल रकबा 0.6400 हेक्टेयर कुल लगान 16.36 रूपये

4- हुकम सिंह पिता शम्भु सिंह राजपूत के हिस्से में रहेगी (वाके महादेवपुरा):-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
84 उत्तर	0.2200	05.50
217 सम्पूर्ण	0.0100	---
218 पूर्व मध्य	04500	11.25

कुल किता 03 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर कुल लगान 16.75 रूपये

5- हुकम सिंह पिता शम्भु सिंह राजपूत के हिस्से में रहेगी (वाके भावलिया):-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
413	0.2800	08.54

6- किशन सिंह पिता शम्भु सिंह राजपूतके रहेगी (वाके सतखण्डा):-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
5 मध्य	0.5500	10.45
270 मध्य	0.0200	00.50
274 मध्य	0.0700	01.75
275 मध्य	0.1600	06.72
721 दक्षिण	0.0100	00.25
722 दक्षिण	0.0200	00.84
728 दक्षिण	0.1600	06.72
729 मध्य	0.1500	06.30

कुल किता 08 कुल रकबा 1.1400 हेक्टेयर कुल लगान 33.53 हैक्टेयर

7- किशन सिंह पिता शम्भु सिंह राजपूत के रहेगी (वाके महादेवपुरा):-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
218 मध्य	0.4600	11.50

8- लक्ष्मण सिंह पिता शम्भु सिंह राजपूत के रहेगी (वाके सतखण्डा):-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
5 उत्तर मध्य	0.4000	07.60
270 मध्य	0.0100	00.25
274 पश्चिम मध्य	0.0800	02.00
275 पश्चिम मध्य	0.1500	06.30



कुल किता 4 कुल रकबा 0.6400 हेक्टेयर कुल लगान 16.15 रुपये

9- लक्ष्मण सिंह पिता शम्भु सिंह राजपूत के रहेगी (वाके महादेवपुरा):-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
84 मीन दक्षिण	0.2100	05.25
218 पश्चिम मध्य	0.4600	11.50



कुल किता 2 कुल रकबा 0.6700 हेक्टेयर कुल लगान 16.75 रुपये

10- लक्ष्मण सिंह पिता शम्भुसिंह राजपूत के रहेगी (वाके भावलिया):-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
413	0.2900	08.85

11- श्री कैलाश सिंह पिता शम्भु सिंह राजपूत के रहेगी (वाके सतखण्डा):-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
5 उत्तर	0.5400	10.26
270 पूर्व मध्य	0.0200	00.50
274 पूर्व मध्य	0.0700	01.75
275 पूर्व मध्य	0.1500	06.30
722 दक्षिण	0.0100	00.42
723 सम्पूर्ण	0.0200	00.84
725 सम्पूर्ण	0.0400	01.00
726 सम्पूर्ण	0.1500	06.30
727 सम्पूर्ण	0.1200	05.04
729 दक्षिण	0.0200	00.84

कुल किता 10 कुल रकबा 01.1400 हेक्टेयर कुल लगान 33.25 रुपये

12- कैलाश सिंह पिता शम्भु सिंह राजपूत के रहेगी (वाके महादेवपुरा):-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
218 पश्चिम	0.4600	11.50

13- मु रूपकुंवर पत्नी शम्भु सिंह राजपूत के रहेगी (वाके सतखण्डा):-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
4 सम्पूर्ण	0.0100	—
5 पूर्व	1.1200	21.28

कुल किता 2 कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर कुल लगान 21.28 रूपये



उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने की स्थिति में रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 31.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चम्पालाल जीनगर)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा